एप्पेलेट सिविल

समक्ष मुख्य न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और न्यायमूर्ति बाल राज तुली माननीय न्यायमूर्ति

श्रीमती तुलसन देवी,-अपीलार्थी।

बनाम

श्रीमती कृष्णा देवी,-प्रतिवादी।

L.P.A. नं. 1972 का 182. 9 नवंबर, 1972।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV)-धारा 11-के तहत याचिका-क्या केवल दोनों पति/पत्नी के जीवनकाल के दौरान ही किया जा सकता है-विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए दीवानी मुकदमा-क्या वर्जित है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि उस धारा के तहत विवाह की निरर्थकता की घोषणा के लिए याचिका एक पति/पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद नहीं की जा सकती है और केवल तभी की जा सकती है जब दोनों पति/पत्नी जीवित हों। जब अधिनियम की धारा 11 के तहत पति या पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद आवेदन दायर किया जाता है, तो मामले की प्रकृति इस बात की अनुमति नहीं देती है कि याचिकाकर्ता और दूसरे पक्ष के बीच विवाह के लिए कोई मिलीभुगत नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत आवश्यक है। विवाह की निरस्तीकरण के लिए एक डिक्री केवल एक व्यक्ति की स्थिति की घोषणा करती है और पति/पत्नी में से एक की मृत्यु इस तरह की घोषणा की मांग करने के लिए दूसरे जीवित पति/पत्नी के अधिकार को समाप्त नहीं करती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 16 के तहत, यदि यह अधिनियम की धारा 11 या 12 के तहत दिया जाता है, तो अमान्य विवाह के वसंत को अमान्यता की डिक्री के बावजूद वैध संतान माना जाना चाहिए। इस तरह के विवाह के बच्चे को अपने माता-पिता की संपत्ति पर विरासत का अधिकार दिया गया है न कि किसी अन्य संबंध का। जब ऐसे बच्चों के अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार से इनकार कर दिया जाता है, तो उनकी माँ के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह शून्य विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए अपने बच्चों को वैधता का चरित्र प्रदान करने के लिए शून्य की डिक्री प्राप्त करे। अतः अधिनियम की धारा 11 की अपेक्षा यह नहीं है कि विवाह की निरर्थकता की घोषणा के लिए याचिका विवाह के लिए दोनों पति/पत्नी के जीवनकाल के दौरान की जानी चाहिए; ऐसी याचिका एक पति/पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद भी की जा सकती है।

(Paras 2 & 3)

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिनियम के तहत न्यायालय की अधिकारिता को अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद याचिका पर विचार करने से रोकता है। धारा 11 के तहत प्रत्येक आवेदन अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय द्वारा संज्ञेय है न कि किसी अन्य न्यायालय द्वारा। इसलिए पति या पत्नी द्वारा विवाह की अमान्यता की घोषणा के लिए एक दीवानी मुकदमा वर्जित है और ऐसे पति या पत्नी के लिए एकमात्र उचित उपाय अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका दायर करना है।

(पैरा 4) F.A.O. में माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन सिंह गुजराल द्वारा पारित 16 फरवरी, 1972 के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अधीन लेटर्स पेटेंट अपील। नं. 1966 का 63-एम।

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता एम. एस. जैन।

प्रत्यर्थी की ओर से एन. सी. जैन और अधिवक्ता वी. के. गुप्ता।

न्याय

न्यायमूर्ति तुली, -श्रीमती कृष्ण देवी का विवाह 30 दिसंबर, 1956 को मंगत से हुआ था। कुछ बच्चे शादी से पैदा हुए थे। 1964 में मंगत की मृत्यु हो गई। श्रीमती कृष्ण देवी से शादी करने से पहले, मंगत की एक और पत्नी थी जिसका नाम श्रीमती तुलसन देवी था और उनसे उनके कुछ बच्चे थे। मंगत की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारियों के संबंध में विवाद पैदा हो गया। यह श्रीमती की ओर से अनुरोध किया गया था। तुलसन देवी और

उनके बच्चे कि श्रीमती की शादी। मंगत के साथ कृष्ण देवी का संबंध अमान्य था क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के लागू होने के बाद मंगत अपनी पहली जीवित पत्नी की उपस्थिति में दूसरी शादी नहीं कर सकता था और इसलिए, उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को मंगत की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं था। इस याचिका को राजस्व अधिकारी ने स्वीकार कर लिया, जिन्होंने मंगत द्वारा श्रीमती से अपने बच्चों के पक्ष में छोड़ी गई भूमि के परिवर्तन को मंजूरी दी। केवल तुलसन देवी। श्रीमती. कृष्ण देवी ने 28 जनवरी, 1966 को मंगत के साथ अपनी शादी को रद्द करने के आदेश के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत एक याचिका दायर की। इस याचिका को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल द्वारा 18 अप्रैल, 1966 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अधिनियम की धारा 11 के तहत एक याचिका केवल दो पति/पत्नी के जीवनकाल के दौरान दायर की जा सकती है। श्रीमती. कृष्णा देवी ने श्रीमती को प्रेरित किया। अधिनियम की धारा 11 के तहत अपनी याचिका पर एकमात्र प्रतिवादी के रूप में तुलसन देवी। उस आदेश के विरुद्ध, श्रीमती. कृष्ण देवी ने एफ. ए. ओ. दायर किया। 1966 का 63-एम, इस न्यायालय में जिसे विद्वान एकल द्वारा स्वीकार किया गया था। 16 फरवरी, 1972 के आदेश द्वारा न्यायाधीश। निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और मामले को गुण-दोष पर निर्णय के लिए उसके पास भेज दिया गया है। उस आदेश के खिलाफ, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत वर्तमान अपील श्रीमती द्वारा दायर की गई है। तुलसन देवी।

(2) याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका केवल दो पति/पत्नी के जीवनकाल में दायर की जा सकती है और एक पति/पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद दायर नहीं की जा सकती है। अधिनियम की धारा 11 इस प्रकार हैः -

11 इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद संपन्न कोई भी विवाह अमान्य होगा और किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, यदि यह खंडों में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है, तो इसे अमान्य की डिक्री द्वारा घोषित किया जा सकता है धारा 5 का (i) (iv) और (v)
इस खंड में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि ऐसा आवेदन तब किया जा सकता है जब दोनों पति-पत्नी जीवित हों। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, विद्वान वकील अधिनियम की धारा 20 (1) का उल्लेख करता है, जो निम्नानुसार है।
कि विवाह के लिए याचिकाकर्ता और दूसरे पक्ष के बीच कोई सांठगांठ नहीं है।
तर्क यह है कि प्रत्येक याचिका में यह कहा जाना चाहिए कि विवाह के लिए याचिकाकर्ता और दूसरे पक्ष के बीच कोई सांठगांठ नहीं है। विद्वान वकील यह भूल जाता है कि यह आवश्यकता मामले की प्रकृति के अधीन है, अर्थात्, ऐसा बयान केवल तभी दिया जाना है जब मामले की प्रकृति अनुमति देती है। यदि मामले की प्रकृति अनुमति नहीं देती है, तो ऐसा कथन करना आवश्यक नहीं है। जब अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद आवेदन दायर किया जाता है, तो मामले की प्रकृति इस बात की अनुमति नहीं देती है कि विवाह के लिए याचिकाकर्ता और दूसरे पक्ष के बीच कोई मिलीभुगत नहीं है। अधिनियम की धारा 20 (1) के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 11 के अधीन याचिका एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद दायर नहीं की जा सकती है। इस विचार का समर्थन मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा तुलसी अम्मल बनाम गौरी अम्मल और अन्य (1) में विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलटते हुए निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा किया गया हैः —
"विद्वान न्यायाधीश द्वारा एक अवलोकन किया गया है कि अमान्यता की डिक्री केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब दोनों पति-पत्नी जीवित हों। इस मामले में, पति पेरियास्वामी की मृत्यु हो गई है और ऐसा लगता है कि विद्वान न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि अब विवाह के लिए पति/पत्नी में से एक जीवित नहीं है, विधवा के लिए पेरियास्वामी के साथ अपनी शादी को रद्द करने की डिक्री की मांग करना खुला नहीं होगा। सम्मान के साथ, हम देख सकते हैं कि यह प्रश्न विद्वान न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था। चूँकि निरर्थकता की डिक्री, हमारी राय में, एक व्यक्ति की स्थिति की घोषणा प्रतीत होती है, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि पति/पत्नी में से एक की मृत्यु से दूसरे जीवित पति/पत्नी के इस तरह की घोषणा की मांग करने के अधिकार को क्यों समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मुल्ला की टिप्पणी में एक अवलोकन के अलावा किसी भी दृष्टिकोण के समर्थन में हमारे

सामने कोई अधिकार नहीं रखा गया है, और यहां तक कि यह अमान्य विवाह के संबंध में है। इसलिए हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहेंगे। तथापि, हम पेरियास्वामी की दूसरी विधवा को अपने विवाह की निरर्थकता की घोषणा करने के लिए ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य करने के लिए पहले आधार पर छोड़ देंगे, जो कि यदि सुरक्षित हो जाता है, तो दूसरे वादी, यहां अपीलार्थी को वैधानिक वैधता की घोषणा का हकदार बना देगा। इस अवलोकन को छोड़कर, अपील खारिज कर दी जाती है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"
उस मामले में, दूसरी पत्नी के साथ-साथ उसकी बेटी द्वारा मालिकाना हक की घोषणा और पेरियास्वामी की आधी संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था। पत्नी ने इस आधार पर अपनी शादी को रद्द करने की घोषणा की कि जब उसने पेरियास्वामी से शादी की, तो उसकी एक और पत्नी जीवित थी। विद्वत जिला मुन्सिफ, जिसने वाद का विचारण किया, ने अभिनिर्धारित किया कि पत्नी ने अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित धारा 5 (1) के कारण पूर्णतया अवैध विवाह किया था और जहां तक उसके दावे का संबंध है, वाद खारिज कर दिया गया था। बेटी के मामले में, यह माना गया कि वह। था। संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार। खारिज करने का आदेश, पत्नी का मुकदमा जिसके साथ उसकी शादी हुई। पेरियास्वामी थे। लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा अमान्य को बरकरार रखा गया था। उस मामले में विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा पेरियास्वामी के साथ उसकी शादी की निरर्थकता की डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती थी, जिसे पीठ ने स्वीकार नहीं किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को गौरी अम्मल और एक अन्य बनाम थुलैसी अम्मल और एक अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है (2).

(3) अधिनियम की धारा 16 इस बिंदु पर निर्णय के लिए बहुत प्रासंगिक है। यह नीचे लिखा हैः - "16. जहां धारा 11 या धारा 12 के अधीन किसी विवाह के संबंध में निरर्थकता की डिक्री दी जाती है, वहां डिक्री बनाए जाने से पहले उत्पन्न या गर्भ धारण किया गया कोई बच्चा, जो विवाह के पक्षकारों का वैध बच्चा होता, यदि उसे शून्य घोषित किए जाने या निरर्थकता की डिक्री द्वारा निरस्त किए जाने के बजाय विघटित कर दिया गया होता, तो उसे निरर्थकता की डिक्री के बावजूद उनका वैध बच्चा माना जाएगाः बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी विवाह के किसी ऐसे बच्चे को प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा जिसे शून्य और शून्य घोषित किया गया है या किसी भी मामले में माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति पर कोई अधिकार रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के लिए, ऐसा बच्चा अपने माता-पिता का वैध नहीं होने के कारण ऐसा कोई अधिकार प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ होता।

इस धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि यदि यह अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 के अधीन दिया गया है तो निरर्थकता की डिक्री के होते हुए भी निरर्थक विवाह के मूल को वैध संतान माना जाएगा। इस तरह के विवाह के बच्चे को अपने माता-पिता की संपत्ति पर विरासत का अधिकार दिया गया है न कि किसी अन्य संबंध का। श्रीमती के बच्चों के अधिकार के रूप में। कृष्णा देवी को उनके पिता की संपत्ति विरासत में मिलने से श्रीमती ने इनकार कर दिया था। तुलसन देवी, यह श्रीमती के लिए आवश्यक था। कृष्ण देवी मंगत से अपने बच्चों को वैधता का चरित्र प्रदान करने के लिए शून्य की डिक्री प्राप्त करने के लिए, जो उस शून्य विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए थे। एकमात्र व्यक्ति जो श्रीमती को उस स्थिति से वंचित करने में रुचि रखते हैं। कृष्णा देवी और उनके बच्चे श्रीमती हैं। इसलिए, श्रीमती तुलसी देवी और उनके बच्चों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत एक याचिका दायर करना आवश्यक था। मंगत से कृष्ण देवी। इसलिए हमारा मानना है कि यह अधिनियम की धारा 11 की आवश्यकता नहीं है कि विवाह की निरर्थकता की घोषणा के लिए याचिका दोनों पति-पत्नियों के जीवनकाल के दौरान की जानी चाहिए। ऐसा आवेदन एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद भी किया जा सकता है। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा की गई पहली प्रस्तुति को खारिज कर दिया जाता है।

(4) अपीलार्थी की ओर से किया गया दूसरा निवेदन श्रीमती. कृष्ण देवी अपने पति की मृत्यु के बाद अधिनियम की धारा 11 के तहत दीवानी मुकदमा दायर कर सकती थीं, लेकिन याचिका दायर नहीं कर सकती थीं। हम इस प्रस्तुति में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं।- ऊपर दिए गए मद्रास निर्णय की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पेरियास्वामी की दूसरी पत्नी द्वारा उसके साथ अपनी शादी की अमान्यता की घोषणा के लिए दायर किए गए

मुकदमे को खारिज कर दिया गया था और उसे ऐसे कदम उठाने के लिए छोड़ दिया गया था जो उसके लिए अपनी शादी की अमान्यता की घोषणा करने के लिए खुले हों। यदि मुकदमे में ऐसी घोषणा की जा सकती थी, तो उसका मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता था और फैसला सुनाया जा सकता था। मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा वाद को खारिज करने से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि पत्नी के लिए उचित उपाय अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका दायर करना था, हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा था। अधिनियम का कोई भी प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जो अधिनियम के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की मृत्यु के बाद याचिका पर विचार करने से रोकता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रत्येक आवेदन अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा संज्ञेय है न कि किसी अन्य न्यायालय द्वारा। इसलिए, हमारी राय है कि सिविल न्यायालय में एक वाद पर रोक लगा दी गई थी और श्रीमती कृष्ण देवी द्वारा दायर अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका सक्षम थी और इसे विद्वत निचली अदालत द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

(5) ऊपर दिए गए कारणों से हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा